



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2229]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939

No. 2229]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

का.आ. 2537(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) में “पांच सौ पैंतालिस दिन” शब्दों के स्थान पर “आपवादिक परिस्थितियों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर राज्यों के संबंध में और एक सौ अस्सी दिन की और अवधि के भीतर पर्याप्त कारणों के लिए” अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 25/156/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक ‘जी’

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 और का.आ. 82 (अ), तारीख 16 फरवरी, 1987; का.आ. 64 (अ), तारीख 18 जनवरी, 1988; सा.का.नि. 931 (अ), तारीख 27 अक्टूबर, 1989; का.आ. 23 (अ), तारीख 16 जनवरी, 1991; सा.का.नि. 95 (अ), तारीख 12 फरवरी, 1992; सा.का.नि.329 (अ), तारीख 13 मार्च, 1992; सा.का.नि. 562 (अ), तारीख 27 मई, 1992; सा.का.नि. 884 (अ), तारीख 20 नवंबर, 1992; सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1993; सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई, 1993; सा.का.नि.801 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993; सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 16 मार्च, 1994; सा.का.नि.560 (अ), तारीख 19 सितंबर, 1997; सा.का.नि.378 (अ), तारीख 30 जून, 1998; सां.का.नि. 7, तारीख 22 दिसम्बर, 1998; सा.का.नि. 407 (अ), तारीख 31 मई, 2001; सा.का.नि.826 (अ), तारीख 16 नवंबर, 2009; और सा.का.नि.513 (अ), तारीख 28 जून, 2012 द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2017

S.O. 2537(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in clause (d) of sub-rule (3) of rule 5, after the words “five hundred and forty five days”, the words “, and in respect of the States of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim and Jammu and Kashmir in exceptional circumstance and for sufficient reasons within a further period of one hundred and eighty days,” shall be inserted.

[F. No. 25/156/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist ‘G’

Note : The principal rules were published vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 82 (E), dated the 16th February, 1987; S.O. 64 (E), dated the 18th January, 1988; G.S.R. 931 (E), dated the 27th October, 1989; S.O. 23 (E), dated the 16th January, 1991; G.S.R. 95 (E), dated the 12th February, 1992; G.S.R. 329 (E), dated the 13th March, 1992; G.S.R. 562 (E), dated the 27th May, 1992; G.S.R. 884 (E), dated the 20th November, 1992; G.S.R. 386 (E), dated the 22nd April, 1993; G.S.R. 422 (E), dated the 19th May, 1993; G.S.R. 801 (E), dated the 31st December, 1993; G.S.R. 320 (E), dated the 16th March, 1994; G.S.R. 560 (E), dated the 19th September, 1997; G.S.R. 378 (E), dated the 30th June, 1998 ; G.S.R. 7, dated the 22nd December, 1998; G.S.R. 407 (E), dated the 31st May, 2001; G.S.R. 826 (E), dated the 16th November, 2009; and G.S.R. 513 (E), dated the 28th June, 2012.